न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड शहर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

जो कोई हो।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4/5 भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।

निर्णय

दिनांक 26.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2014 को थानाधिकारी पुलिस थाना आबूरोड शहर को दौराने गश्त सूचना मिली कि रिको एरिया आबूरोड में श्री अमरसिंह , श्रीमती नीतू सैनी, व श्री दीपक नाम के व्यक्ति भगवान महावीर की धातु की मूर्ति को बेचने की फिराक में है जो कि श्री अनिल गोठवाल आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई. डी.सी.बी. राजस्थान जयपुर ग्राहक बनकर आए है। उक्त सूचना पर श्री पदमाराम उनि मय जाप्ता रिको एरिया आबूराड पहुच जहां पर रजवाडा होटल के पास उक्त तीनों गैर सायलान श्री नीतू वगैरा सी.आई डी.सी.बी. की टीम से उक्त मूर्ति को बेचने व सौदा तय करने की बात कर रहे थे, जिस पर श्री उक्त तीनों से भगवान महावीर की मूर्ति के बारे में पूछा तो तीनों ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। श्रीमती नीतू सैनी ने कहा कि उक्त मूर्ति उसे अमरसिंह ने दी एवं श्री अमरसिंह ने कहा कि उक्त मूर्ति उसे जमीन में मिली थी एवं बाद में कहा कि उसके चाचा ने उसे दी थी जो 10–15 सालों से उसके पास पडी थी एवं श्री दीपक ने कहा कि उक्त मूर्ति श्रीमती नीतू सैनी की है एवं बाद में कहा कि श्री अमरसिंह ने दी है। इस प्रकार कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने एवं उक्त मूर्ति काफी प्राचीन सम्वत 1286 की होने से उक्त मूर्ति कहीं से चुराई हुई होने का संदेह होने या पुरातत्व स्मारक से लेने का अन्देशा होने से उक्त मूर्ति को जरिए फर्द धारा 102 सी.आर.पी.सी. के तहत जब्त कर कब्जा पुलिस ली गई। यह है कि दौराने जांच दिनांक 12.03.2014 को श्री अमरसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह जाति लोधा निवासी केसरगंज की जामा तलाशी में मिले पुरातत्व महत्व के सात सिक्कों को थाना हाजा पर उक्त मूर्ति के साथ ही धारा 102 सी.आर.पी. सी. के तहत जरिए फर्द कब्जा पुलिस लिए गए। अतः पुलिस द्वारा उक्त सभी को कब्जे सरकार लिया जाकर भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 के तहत जब्त सरकार करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] क्रमांक कोर्ट/2021/17–24 दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया। जिसे निदेशक पुरातत्व विभाग, जयपुर, पुलिस अधीक्षक सिरोही, उपखण्ड अधिकारी आबूरोड, तहसीलदार, आबूरोड थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड शहर, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सिरोही एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही एवं वह स्थान जहां पर निखात निधि पाई गई उस स्थान पर तामिली कराई जाकर चस्पा किया गया।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि आबूरोड शहर मे पाई गई निखात निधि के संबंध मे जारी इश्तिहार की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः यह सम्पत्ति राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त सरकार की जाने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण एवं किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किए जाने से एवं छः माह की अवधि समाप्त होने से उक्त निखात निधी का क्लेम पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 11.03.2014 को थानाधिकारी पुलिस थाना आबूरोड शहर को दौराने गश्त सूचना मिली कि रिको एरिया आबूरोड में श्री अमरसिंह , श्रीमती नीतू सैनी, व श्री दीपक नाम के व्यक्ति भगवान महावीर की धातु की मूर्ति को बेचने की फिराक में है जो कि श्री अनिल गोठवाल आर. पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई. डी.सी.बी. राजस्थान जयपुर ग्राहक बनकर आए है। उक्त सूचना पर श्री पदमाराम उनि मय जाप्ता रिको एरिया आबूरोड पहुंचे जहां पर रजवाडा होटल के पास उक्त तीनों गैर सायलान श्री नातू बगैरा सी.आई. डी. सी.बी. की टीम से उक्त मूर्ति को बेचने व सौदा तय करने की बात कर रहे थे, जिस पर श्री उक्त तीनों से भगवान महावीर की मूर्ति के बारे में पूछा तो तीनों ने कोई संतोष्प्रद जवाब नहीं दिया। श्रीमती नीतू सैनी ने कहा कि उक्त मूर्ति उसे अमरसिंह ने दी एवं श्री अमरसिंह ने कहा कि उक्त मूर्ति उसे जमीन में मिली थी एवं बाद में कहा कि उसके चाचा ने उसे दी थी जो 10–15 सालों से उसके पास पडी थी एवं श्री दीपक ने कहा कि उक्त मूर्ति श्रीमती नीतू सैनी की है एवं बाद में कहा कि श्री अमरसिंह ने दी है। इस प्रकार कोई संतोष्प्रद जवाब नहीं देने एवं उक्त मूर्ति काफी प्राचीन सम्वत 1286 की होने से उक्त मूर्ति कहीं से चुराई हुई होने का संदेह होने या पुरातत्व स्मारक से लेने का अन्देशा होने से उक्त मूर्ति को जरिए फर्द धारा 102 सी. आर.पी.सी. के तहत जब्त कर कब्जा पुलिस ली गई। यह है कि दौराने जांच दिनांक 12.03.2014 को श्री अमरसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह जाति लोधा निवासी केसरगंज की जामा तलाशी में मिले पुरातत्व महत्व के सात सिक्कों (2 चांदी व 5 तांबा के) को थाना हाजा पर उक्त मूर्ति के साथ ही धारा 102 सी.आर.पी.सी. के तहत जरिए फर्द कब्जा पुलिस लिए गए। छः माह की समयावधि में कोई क्लेमेन्ट हाजिर नहीं होने से एवं क्लेम प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निखात निधी को मालिक विहिन सम्पत्ति (Ownerless Property) घोषित करते हुए जब्त सरकार करने के आदेश दिये जाते है

चूंकि मूर्ति एवं सिक्के पुरातत्व महत्व के होने से इन्हें अधीक्षक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग आबूपर्वत को सुपुर्द करने के आदेश दिए जाते है। अधीक्षक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग आबूपर्वत उक्त निखात [illegible] स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति से इस न्यायालय को अवगत करावें। थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड शहर जमा [illegible] की कार्यवाही [illegible] स्तर पर करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:31 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner